संख्या-236/2017/59/22-2-2017-17(97)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 27 मार्च, 2017***

विषय: केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामौतार उर्फ रामू पुत्र श्री लालमन निवासी जनपद-बुलन्दशहर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-197213/पर-2/सलाहकार समिति(एम0 22-12-2016) दिनांक-03-01-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामौतार उर्फ रामू पुत्र श्री लालमन निवासी-मौ०-पंजाबियान, थाना-खुर्जा, जनपद-बुलन्दशहर का निवासी है। बन्दी राजेन्द्र अग्रवाल की दुकान किराये पर लेकर दर्जी का कार्य करता था। बन्दी दिनांक 11.04.1986 को दुकान मालिक की मोटर साइकिल लेकर गया था जिसका एक्सीडेंट हो गया। मोटर साइकिल की मरम्मत एवं दुकान के किराये को लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ दिनांक 13.04.1986 को राजेन्द्र अग्रवाल के 04 वर्षीय पुत्र का फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-331/1986 में भा0द0वि0 की धारा-364, 302 व 201 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर द्वारा दिनांक 30.01-1995 को मृत्यु दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध दाखिल अपील में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 11.03.1996 द्वारा मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया। बन्दी द्वारा दिनांक 30.11.2016 तक 22 वर्ष 10 माह 24 दिन की अपरिहार तथा 30 वर्ष 02 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त मा० उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, बन्दी को जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक् प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक आर्थिक् दशा सामान्य होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। सलाहकार समिति द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी राजेन्द्र अग्रवाल की दुकान किराये पर लेकर दर्जी का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्य करता था। बन्दी दिनांक 11.04.1986 को दुकान मालिक की मोटर साइकिल लेकर गया था जिसका एक्सीडेंट हो गया। मोटर साइकिल की मरम्मत एवं दुकान के किराये को लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ दिनांक 13.04.1986 को राजेन्द्र अग्रवाल के 04 वर्षीय पुत्र का फिरौती के लिए अपहरण कर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता व पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रामौतार उर्फ रामू पुत्र श्री लालमन को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन सं0-26061(एम0/बी0)/2016 में रामौतार उर्फ रामू बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामौतार उर्फ रामू (बन्दी संख्या-३७७८) पुत्र श्री लालमन, निवासी जनपद-बुलन्दशहर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-236/2017/59(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।